न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/6ए/04/2019

राजस्थान सरकार जरिये पवन अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी,भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

अशोक गुप्ता पुत्र हरीश चन्द गुप्ता निवासी सहयोग नगर भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत जप्त शुदा सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1– पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी,

निर्णय

दिनांक 24.1.2023

प्रार्थी की ओर यह प्रार्थना पत्र. धारा 6ए इस आश्य का पेश किया संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.1.2019 को जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देश पर पुलिस थाना मथुरा गेट की सूचना पर सहयोग नगर भरतपुर में घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रिफलिंग के दौरान हुई आगजनी की घटना में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण के विरुद्व मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई। मौके पर मौतविरानों के बयानों एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के अनुसार अशोक गुप्ता पुत्र हरीश चन्द गुप्ता द्वारा अपने मकान के आगे घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाता है। दिनांक 31.1.2019 को अशोक गुप्ता द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहन के रिफलिंग के दौरान अचानक आग लगने से अशोक गुप्ता का स्वयं का मकान जल गया एवं उसके घर के सामने श्रीमती उमा शर्मा के मकान में आग लगने से घरेलू सामान नष्ट हो गया। अशोक गुप्ता के घर के सामने गैस रिफलिंग किये जाने वाला वाहन भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया । मौके से अशोक गुप्ता फरार हो गया एवं उसके परिजनों ने जांच में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, मौके से बजह सबूत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (03 बीपीसीएल एवं 01 एचपीसीएल कम्पनी के) मय गैस 22.500 किग्रा. जिनमें एक सिलेण्डर मय रेग्यूलेटर जला हुआ है जो जप्त किया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रौलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में दोषी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर मे प्रथम सूचना रिपार्ट संख्या 86/2019 दिनांक 31.1.19 को दर्ज कराई गई है। अन्तमें निवेदन किया है कि जप्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों (03 बीपीसीएल एवं 01 एचपीसएल कम्पनी के) को मय गैस 22.500 किग्रा को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी की ओर से जबाव पेश हुआ जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये हैं, पैरोकार रसद को सुना गया।

पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि दिनांक 31.1.2019 को जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देश पर पुलिस थाना मथुरा गेट की सूचना पर सहयोग नगर भरतपुर में घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रिफलिंग के दौरान हुई आगजनी की घटना में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण के विरुद्व मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई। मौके पर व्यक्तियों के बयान लिये गये, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के अनुसार अप्रार्थी द्वारा अपने मकान के आगे घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाता है। पैरोकार रसद ने बताया कि दिनांक 31.1.2019 को अशोक गुप्ता द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहन में गैस रिफलिंग के दौरान अचानक आग लगने से अशोक गुप्ता का स्वयं का मकान जल गया था एवं उसके घर के सामने श्रीमती उमा शर्मा के मकान में आग लगने से घरेलू सामन नष्ट हो गया। अशोक गुप्ता के घर के सामने गैस रिफलिंग किये जाने वाला वाहन भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया । मौके से अशोक गुप्ता फरार हो गया एवं उसके परिजनों ने जांच में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, मौके से बजह सबूत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (03 बीपीसीएल एवं 01 एचपीसएल कम्पनी के) मय गैस 22.500 किग्रा. जिनमें एक सिलेण्डर मय रेग्यूलेटर जला हुआ है जो जप्त किया गया। पैरोकार रसद का यह भी कथन है कि जबाब में अप्रार्थी द्वारा वर्णित तथ्यों में उक्त सभी चार घरेलू गैस सिलेण्डरस अलग अलग उपभोक्ताओ के थे, तो इन्हें वक्त जांच सम्बन्धित उपभोक्ता के रसोई घर में होना चाहिये था, इन सभी का एक साथ मिलना एवं एक सिलेण्डर का जलन जाना साथ ही दुर्घटना वाले वाहन का सड़क पर जलना अवैध रिफलिंग में ही इन घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अप्रार्थी द्वारा किया जा रहा था, अप्रार्थी स्वयं जबाब में यह कहता है कि जला हुआ वाहन एलपीजी से चलता है। अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरस से वाहनों में एलपीजी की अवैध रुप से रिफलिंग में लिप्त था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रौलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाकर जप्त शुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि एवं जवाव अप्रार्थी का अध्ययन किया गया।

1—जांच अधिकारी ने वक्त जांच मौके से वजह सवूत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (03 बीपीसीएल एवं 01 एचपीसीएल कम्पनी के) मय गैस 22.500 किग्रा. जिनमें एक सिलेण्डर मय रेग्यूलेटर जला हुआ है को जप्त किया गया, प्रार्थी पैरोकार रसद ने यह भी बतलाया है कि मौके पर उपस्थित गवाहन एवं मौके से जले मिले घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जले हुये वाहन में घरेलू गैस सिलेण्डरस से एलपीजी की अवैध रिफिलिग करने में लिप्त था, जिससे वाहन में आग लगने की दुर्घटना हुई है। अप्रार्थी ने अपने जबाब की मद नम्बर 3 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वाहन एल.पी.जी. गैस से चलती है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वाहन एलपीजी गैस से चलता था, वाहन में एल.पी.जी. गैस रिफिलिंग किस पैट्रोल पम्प से भरवाई जाती थी, उसकी कोई कैस मीमो वगे. पेश नहीं की गई, दूसरी ओर मौके से जप्त किये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों में से एक गैस सिलेण्डर जला हुआ मिला था, अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर कैस जला इसका कोई जिक्र अपने जबाब में नहीं किया गया है, इससे यह यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी अपने वाहन में एलपीजी गैस की रिफलिंग घरेलू गैस सिलेण्डरस से करने में लिप्त था।

2—अप्रार्थी ने अपने जबाब के मद नम्बर 4—5 में यह कहना कि मैडिकल ऑक्सीजन सिलेण्डर में आक्सिजन गैस भरवाने की रसीद पेश करते हुये यह बताने की असफल कोशिश की गई है कि वाहन के स्टार्ट करते समय सोर्ट सर्किट होने से गाडी में आग लगी जिससे आक्सिजन सिलेण्डर में गैस सिलेण्डर गर्म होने से फटा जिससे विस्फोट हुआ, मद नम्बर 1 में किये गये विवेचनानुसार अप्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

3— अप्रार्थी ने अपने जबाब के मद नं. 7 लगा. 9 में जिस प्रकार उल्लेख किया गया है कि मौके से जप्त गैस सिलेण्डर में एक गैस सिलेण्डर हाऊस होल्ड विनय कुमार प्रार्थी के भाई का था। दूसरा व तीसरा गैस सिलेण्डर हाऊस विनय कुमार जो प्रार्थी का भाई है का था, चौथा गैस सिलेण्डर प्रार्थी के पिता हरीशचन्द का था, चारों गैस सिलेण्डर की जप्ती नियम विरुद्ध है, अप्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता है क्यों कि अगर उक्त जप्त सभी चार घरेलू गैस सिलेण्डरस अलग अलग उपभोक्ताओ के थे, तो इन्हें वक्त जांच सम्बन्धित उपभोक्ता के रसोई घर में होना चाहिये था, इन सभी का एक साथ मिलना एवं एक सिलेण्डर का जल जाना साथ ही दुर्घटना वाले वाहन का सड़क पर जलना अवैध रिफलिंग में ही इन घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करना स्थापित करता है।

.....4

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रौलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में दोषी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर मे प्रथम सूचना रिपार्ट संख्या 86/2019 दिनांक 31.1.19 को दर्ज कराई गई है। पैरोकार रसद ने आखिर में निवेदन किया है कि जप्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों डर (03 बीपीसीएल एवं 01 एचपीसएल कम्पनी के) को मय गैस 22.500 किग्रा को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए स्वीकार किया जाता है। जप्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों (03 आईओसीएल एवं 03 एचपीसएल कम्पनी के) को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है वह जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे। जिला रसद अधिकारी पालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.1.2023 को सुनाया गया।

(अलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर